Permanent Commission To WOMEN Officers In Indian Army

Women officers were commissioned in Indian Army as officers in Army Medical Corps, Army Dental Corps and Military Nursing Service since Independence and in Army Service Corps, Army Ordnance Corps, Army Education Corps and Judge Advocate General Department since 1992 through Women Special Entry Scheme (WSES). After a 24 weeks training, they were commissioned for a period of five years. Short Service Commission (SSC) for men was in vogue since 1964 for all Arms and Services included a 49-week training after which they became eligible for a five year tenure extendable by another five years i.e. (5+5). Men could also opt for Permanent Commission after SSC, upon screening by Selection Boards. Such an option for Permanent Commission (PC) was not available to women officers under WSES.

However, in 1996, the tenure of women officers was extended by five years and induction commenced in Corps of Engineers, Corps of Signals, Electronics and Mechanical Engineers, Intelligence Corps and Army Air Defence. In 2004, the tenure was further extended by another four years. Later in 2006, the terms and conditions of service of women officers were revised and the contract was made 10 years extendable by four years (10 + 4). WSES scheme was terminated and induction of women officers was commenced through SSCW (Tech) and SSCW (Non-Technical) with pre-commission training of 49 weeks and subsequent time scale promotions up to Lt Col at par with male Short Service Commissioned Officers (SSCOS).

In 2008, Government of India approved PC for women officers in AEC and JAG which materialized in 2010, after which the women officers commissioned in balance eight Arms and Services sought PC at par with their male counterparts. On 15 Aug 2018, the Hon'ble PM announced that women officers would be eligible for consideration for grant of PC in the balance eight Arms and Services. A Govt Sanction Letter (GSL) was issued on 25 Feb 2019 for the purpose. This was followed by Hon'ble Supreme Court's directions on 17 Feb 2020 for the same. On 16 Jul 2020, GSL was issued granting consideration for PC to women officers at par with their male counterparts. Accordingly, a Special Selection Board was held in Sept 2020 and it approved 422 out of 615 women officers for grant of PC. The Chief of Army Staff on 15 Jan 2021 further announced that women officers would be eligible to be commissioned in Army Aviation as Pilots.

This is a major step towards women empowerment where women can work side by side with men to save the borders of this great nation and to protect the nations. Department of Posts is pleased to issue a Commemorative Postage Stamp on Permanent Commission to Women Officers in Indian Army.

Credits:

Stamps/Miniature Sheet/FDC/ Brochure/Cancellation Cachet : Shri Brahm Prakash

Text : Based on information received from the proponent

भारतीय सेना में महिला अधिकारियों का स्थायी कमीशन

भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी डेंटल कोर व मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में कमीशन प्रदान किया जाने लगा। आगे चलकर, 1992 में 'वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम' (डब्लयूएसईएस) के माध्यम से उन्हें आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डनेन्स कोर, आर्मी एजुकेशन कोर व जज एडवोकेट जनरल विभाग में भी अधिकारी के रूप में कमीशन प्रदान किया जाने लगा। 24 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद उन्हें पांच वर्षों के लिए कमीशन प्रदान किया जाता था। वहीं पुरुष अधिकारियों को 1964 से ही सभी सेनाओं व सेवाओं में शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) प्रदान किया जाता था, जिसके अंतर्गत, 49 सप्ताह का प्रशिक्षण भी शामिल था। इस प्रशिक्षण के बाद वे पांच वर्षों के कार्यकाल के लिए पात्र हो जाते थे, जिसे और पांच वर्षो अर्थात् (5+5) तक बढ़ाया जा सकता था। पुरुष अधिकारी, चयन बोर्ड द्वारा स्क्रीनिंग होने पर, शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद स्थायी कमीशन का विकल्प भी चुन सकते थे। परंतु डब्लयूएसईएस के तहत महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन (पीसी) का विकल्प उपलब्ध नहीं था।

हालांकि, वर्ष 1996 में महिला अधिकारियों का कार्यकाल पांच वर्षों के लिए बढ़ाया गया और इंजीनियर्स कोर, सिग्नल्स कोर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स, आसूचना कोर व आर्मी एयर डिफेंस में भी महिला अधिकारियों की भर्ती की जाने लगी। वर्ष 2004 में यह कार्यकाल चार वर्षों के लिए और बढ़ाया गया। इसके बाद, वर्ष 2006 में, महिला अधिकारियों की सेवा के नियमों व शर्तों में संशोधन हुआ और कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 10 वर्ष कर दी गई, जिसे आगे चार वर्षों के लिए (10+4) बढ़ाया जा सकता था। बाद में, डब्लयूएसईएस योजना को समाप्त कर दिया गया और एसएससीडब्ल्यू (तकनीकी) व एसएससीडब्ल्यू (गैर–तकनीकी) के माध्यम से महिला अधिकारियों की भर्ती की जाने लगी। इसके अंतर्गत, कमीशन प्रदान करने से पूर्व 49 सप्ताह का प्रशिक्षण शामिल था और इसके बाद महिला अधिकारियों को शॉर्ट सर्विस कमीशन प्राप्त पुरुष अधिकारियों (एसएससीओएस) के समकक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक टाइम स्केल पदोन्नति प्रदान की जाती थी।

वर्ष 2008 में भारत सरकार ने एईसी एवं जेएजी में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने को मंजूरी दी, जिसे 2010 में लागू किया गया। इसके बाद, शेष आठ सेनाओं व सेवाओं में कमीशन प्राप्त महिला अधिकारियों ने भी अपने समकक्ष पुरुष सहकर्मियों के समकक्ष स्थायी कमीशन की मांग की। 15 अगस्त, 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि महिला अधिकारी, शेष आठ सेनाओं व सेवाओं में भी स्थायी कमीशन प्रदान किए जाने के लिए पात्र होंगी। 25 फरवरी, 2019 को इस आशय का एक सरकारी मंजूरी पत्र (जीएसएल) जारी किया गया।

17 फरवरी, 2020 को इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी निर्देश जारी किए गए। 16 जुलाई, 2020 को महिला अधिकारियों को उनके समकक्ष पुरुष सहकर्मियों के बराबर स्थायी कमीशन प्रदान करने के संबंध में जीएसएल जारी किया गया। तदनुसार, सितम्बर 2020 में एक विशेष चयन बोर्ड का गठन हुआ, जिसने 615 महिला अधिकारियों में से 422 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया। इसके बाद 15 जनवरी 2021 को सेनाध्यक्ष महोदय ने यह घोषणा की कि महिला अधिकारी, सेना विमानन में पायलट के रूप में कमीशन प्रदान किए जाने के लिए भी पात्र होंगी।

यह, महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब महिलाएं, इस महान देश व इसकी सीमाओं की सुरक्षा के कार्य में पुरुष अधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर सकती हैं। डाक विभाग, 'भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने' संबंधी विषय पर स्मारक डाक–टिकट जारी करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है।

आभार :

डाक–टिकट / मिनियेचर शीट्स / प्रथम दिवस आवरण / विवरणिका / विरूपण कैशे : श्री ब्रह्म प्रकाश

पाठ : प्रस्तावक से प्राप्त सामग्री के आधार पर

तकनीकी आंकड़े

TECHNICAL DATA

मूल्यवर्ग	:	1000 पैसे(2), 1500 पैसे (2)
Denomination	:	1000 p(2), 1500 p(2)
मुद्रित डाक–टिकटें	:	202450 प्रत्येक
Stamps Printed	:	202450 Each Type
मुद्रितमिनियेचर शीट्स	:	111000
Miniature Sheets Printed	:	111000
मुद्रण प्रक्रिया	:	वेट ऑफसेट
Printing Process	:	Wet Offset
मुद्रक	:	प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद
Printer	:	Security Printing Press, Hyderabad

The philatelic items are available for sale at Philately Bureaus across India and online at http://www.epostoffice.gov.in/PHILATELY_3D.html

मूल्य ₹ 5.00